प्रेषक;
सुनील कमार
प्रमुखं सचिंवे,
उठप्र० शासन।:
सेवा में,
शिक्षा निदेंशक (बेसिक).
उत्तरः प्रद्रेश।
शिक्षा अनुभ़ाग-ष. . . . लखंनऊः दिनाँक:०\& मई़, 2013
विषय: अशासकीय नर्सरी/पाथमिक (प्राइसरी) /रच्च :प्राथमिक़ (जूनियर हाईस्कूल)! अंग्रेजीं माष्यम कें विद्यालयों की मान्यतां दियें जाने सम्बंंध्धी संशोधित समाजक़ एवं शर्तो।

महोदय,
उपर्युक्त विषयकः शासनाद्देश संख्या-437/79-6-201.1 दिऩांक 19 ग़ई, 2011 एवं आपंकें पत्र दिनांक 15-12-2012. दिनोंक 12-02-20.13 एवं दिनांक $30-04-2013$ क़े संदर्भ में मुंडो आप़से यहा कहने का निदेश हुआ है कि: निःशुल्क एवं. अंनियार्य बाल शिए्ना का अध्धिकार अधिनियमं-2009 एवं तदनुक्रम में राज्य संरका़ा द्वारां-पारित शिसा का अैधिकार नियमांवली-2011 में विहित प्राविधानों तथा इस संम्बन्व्ध में संमय-समय पर मा० उच्चंतम् न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालंय द्वारा पारित आदेशों को दृष्टिगत् रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्तु पूर्व में विद्यालयों की मान्यता सम्बिंधी निड़ामों एवं विभागीय निर्देशों को अंतिंक्रमित करते हुए की राज्यपाल अंग्रेजी माध्यक़ से शिक्षां देने वाले अशांसकीयं नर्सरी./' प्राथमिक (प्राइमऱी)/उच्च्व: प्राथमिक विद्यालय (जूनिरार हाईस्कूल) की अंस्थांयी/स्थायी मान्यता प्रदान किये जांने हेतु निम्नलिखित मानक़ों एवं शर्तों कें निर्धारण की सहर्ष स्वीकृति प्रैंदान करेते है :-
(1). इस्न आदेश़ के निर्गत होने के उप्परान्त निंर्थारित मानक एवं शर्तो को पूर्ण करने वालें विद्यालंयों को ही मान्यता प्रदानंकी जायेगी।
(2) पूर्व से मान्यत्ता: प्राप्त विद्यालय भी इन संशोंधित मानक\% शर्तो को उ०प० निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अ़िकार नियमावलो-2.011 लाग़ होने की तिथि से 03 वुर्ष्रे में अप़ते आर्श्भिक सोंतों से पूराः करने हेतु आवश्यक कदम उठठायेंगें: अन्यशा संक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यूता प्रत्याहरित करने त्व्तु ऩियमाँनुस़ान-कांर्यवाही की जाये़ेगी। मान्यता प्रत्या़ाहरंण के उपरान्त इस प्रकार का विद्यालय किंसी भी दशा में संच़ाल़ित नहीं दिया ज़ायेगा।
(3) विंद्यालय : में अंग्नि श़ेमनयंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना होगा।

gorr
(4) विद्याल्नयों में ज्वलंनशील एवं ज़हीले पदार्थ. छान्र/अध्यापक की पाहुँच से दूर सुरक्षित रख़्ते की व्यवस्थां की जाय तथा उसका प्रयोग प्रशिधित अध्युपकक़ं / कर्मचारियों द्वारा ही कियाः जाय।
(5) विद्यालंय प्रत्छंतंत्र द्वारा विद्यालय भवनों की मजबूती के सम्बन्ध में सम्बन्दित अधिकांरी अभियन्ता से भंक्न नेशनल बिल्डिंग कोड्ड के मानकों के अनुरूप होनें का प्रमाण-पन्न प्राप्त किया जायेगा तथा समय-समय पर समीक्षा के अन्तर्गतु भी भवन की सुरक्षा का प्रमाण-पत्र प्रबन्धतंत्र को प्रस्तुत करेना होगा विद्यांलय भवन की सुरक्षा एवं रख-रखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रब्धतंन्न का होगां। नेशनल बिल्ड़िंग कोड के अनुरूप विद्यालय भवन की गुणावत्ता के संबंध में लोक निर्माण विमाग, सिंचाई विभाग, नगर विकास विभाग: एवं आऱईएस, के जिस अंभिय़त्ता द्वारा निरीक्षण किया जायेगा उनका विवरण निम्नवत्:

1. ग्राउंड फ्लोर पर निर्भित भवन-अंतर अभियन्ता
2. एक़ से अधिक मंजिल के विद्यालय-सहायक अभियन्ता

निरीक्षणकंर्ता अधिकारी को यंह भी सुनिश्चित कराना होगा कि विद्याल़य भवन की छत एवं दीवारों के निर्माण में पूर्ण मंजबुली है और भवन में घूपे वे उंड से बचौंव की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। कक्षा-कद्ष हवादार एवं रोंशनीयुक्त हैं।

1. एक मंंज़िल से अधिंक ऊँचे भवन की सीढ़ियॉ जो निकास भार्ग के रूप में प्रयुक्त हों रही हों, नेशऩल बिल्डिंग कोड 2005 में निर्धारित मानकों के अनुसारःबनायी ग़यी हो ताकि आकर्मिकता की स्थिति में. बच्चों के निकाखं में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
(6) विद्यालयके शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मियों को अण्निशमन उपकरणों औौर सुरक्षा के स्पायों के लिए जिल़ा स्तरीय आपदा प्रनन्धंन सगिति/अग्निशनन अधिकारी क्े मां्यम्यः से निशुल्क प्रशिक्षित किया जाया ताकि आग लगने की. स्थिति अथधा अन्य आंकस्मिंक आपंदा की स्थिति में बच्चों को सुरक्षित तरीक से बचाया जा स़क़े।
(7.) नर्सरी/पप्राथमिक (फ्राइमरी)/ठच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कल) की शिषा प्रदान करने वाले समंस्ति उस्तहायतित विद्यालय स्ववित्त पोषित होंगो जिन्हें राज्य सरकार द्वारा किसी प्रक़ार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
(2) पूर्व सेंसान्यता प्राप्त विद्यालयों के संदर्भ में मानंक एवं शर्ते :-

यदि विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम- 2009 के कम में नि़र्गत उ०प्र० निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमाव़ली-201i लागू होने के पूर्व से संचालित है तो उसके द्वारा निर्द्वारित प्रारूप पर सूच्चंना सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को तीन माह के अन्दर प्रस्तुंत की जायेगीं तथा निम्नलिखित मानकों को पूरा करने की अंनिवार्यता होगी :-

```
gosp gmt/
```

(क) विद्यालय संचालित करने वाली संस्था सोस़ाइटी रजिए्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंज़ीकृत हो।
(ख) विद्यालय किसीं भी व्यक्तिए, व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसियेशन को लाभ पहुँचांने कें लिए संचालित नहंहीं किंयां जायेगा।
(ग) भारत के संसिधान में प्राविधिानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म सम़भाव तथा मानवीय मूल्यों की संप्राफ़ि के लिए प्राविधान समितियों तथा समय-समय परं निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
(घ) विद्यालय के भवनों तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यवसायिक एवं आवादासीय उद्देश्यों के लिए दिंन और रात में प्रयोग नहीं किया जजायेगा, परन्तु विद्यालय की सुरक्षा से सम्बन्धित कर्मियों के आवास हेतु छूट रहेगी।
(ङ). विद्यालय भवन पररिसर अथवा मैदानं को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक क्रिया-कलापों के मेंयोंग में. भी नहीं लिया जायेगा। विद्यालय भवन का वाहूय रग सफेद होना चांहिए औरं अधिकतम द्दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग-रोग़न की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
(च) विद्यालय का किसी सरकारी अधिका़ी अथवां स्थानीय शिक्षा अधिकारी. द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।
(छ). विद्यालंय का खण्ड शिक्षां अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर को शिक्षा विभाग के आधिकारी अथवां जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही निरीक्षणु किया जा सकेगा।
(ज) बेसिक्र शिक्षा विभाग के जनपदीय/मण्डकीय/राज्य स्तरीय अधिक़ारी अयंता अन्य किसी सक्ष् पाधिकांरी द्वारा किसी विद्यालय सो सूचनां मांगें जांने पर आवश्यक आख्या एवं सूचनायें निर्वशानुसार उपलब्ब करायी ज़ायेगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालयों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
(इ) ऐसे विद्यालय जो निर्षारित घोषणा पत्र के द्वारत यंह सूचित करते हैं कि उनके होंा. निर्धारित मानकक/शर्तो को पूर्ण कर लिया गरा है, उन विद्यालयों का सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारां 03 माह के अन्दर स्थलीयं निरेक्षण कियां जायेगा।
(ज) अपंरिंहार्य परिस्थितियों को छोड़कर विद्यालय के स्थलीय निरीक्षण की तिथि"क़े 60 . दिन के भीतीर जिन विद्यालयों द्वारा शर्ते पूर्ण कर ली गयी हैं, उनके संदर्भ में इस आश्रय का आदेश ज़िला बेसिक सिक्षा अधिकारी द्वारा जारी केर दिया जायेग़ा। विवादित मामलों में शिक्षा निदेशक (ते0) का आदेश प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी।
(ट) सम्बन्धित जिला केसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे विद्यालयों की सूची भी:तैयैयार की जायेंती ज़ा मान्यता की निर्धारित शर्तो को पूर्ण नहीं करुते है। ऐसे विद्यालयों को कमियों के सम्बन्ध में सूचित किया जायेगा तथा विंद्यालंयवार कमियों का विवरण वेबस़ाइट पर भी पसारित किरा जायेंगा। कंम़ियों का न्जिरांकरण निर्धारित अंवधि में रेम्बन्धित प्रवाधतंत्र को द्वारा ओंवश्यक रूप से कर लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार अंक्सर दिये ज़ाने के उपरान्त भी यदि विद्यालय निर्धारित मानक़ों एवं शुंतो को पूर्ण नहीं करते हैं तो प०प० नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिश्षा करें अधिकार निंममांवली ल़ागू होने की तिथि से 03 वर्ष के: उपरान्त इस प्रकार कें विंद्यालयों के संचालन पर रोक लगार्या जा सकती है, और ऐसे विद्यालयों की मान्यता प्रत्याइएण की कार्यवाही भी क़ी जायेगी।

## (3) मान्यता सीगिति :-

अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यंता हेतु मण्डल स्तर पर एक समिति ग्रित की जायेगी जो निम्नवतं होगी :-
1- संस्बन्धित सहायंक श़क्षा निदेशक, (लेंस्सेक)
अध्यक्ष
2- सम्ब़्धित जिला बेसिक: शिस्षा अधिंकांशी
3- ज़नपंद का वरिष्ततंम : खण्ड शिक्षा अधिकारी
सचिव

जिला देसिक शिक्षा अधिकारीः द्वारा मान्यता हेतु विद्यालय से प्राप्त सूचना एवं रध्लीलीय निरीक्षण आख्यां अपनी स्पष्ट्ट संस्तुति सहित समस्त प्रपत्र ममण्डल स्तर पर गरवित मान्यता समिंति के समक्ष प्रस्तुत क़िये जायेंगे तथा संमिति के सिर्णिय के आंधार पर सम्बंशित जिलां बेसिक शिक्षा ऊाधिकारी द्वारा निर्षाशित प्रारुप (संलग्नक-2) पर वि़ंद्यालय की मान्यता के सम्बन्ध में आदेश जारी किये जायेंगे।
(4) ओशासकीय नसरी प्राथमिक (माइमरी) उच्य पाथमिक (जिनियर हाइएकल) अंगेंजी पांख्यम के विहालंयों की भान्यता दिये जाने सम्बनी: संशीधिंन मंनक एवंशता?
आवेदन की:अईता
श़िषा. कें क्षेत्र में रुचि रखंने ववाले व्यक्तियों अथवा किसी विधि मान्य
 करने के लियें आवेक्मन कर सकतें हैं -
(1) प्री-प्राइममरं एवं प्राइमरी स्तर (प्राइमरी स्तर के पूर्व की दो कक्षायें तथा
(2) क़स्ता-1 सें 5 तक की क्षायें।।
(3) की-प्राइमरी प्राइमरी एवं जूनियर्ं हाईक्कूल स्तर ( प्राइमरी स्तर सें पूर्व क़ी दो कक्षायें तथा कक्षा-1 से: $\begin{gathered}\text { ता } \\ \text { तक की क्षाये)। }\end{gathered}$
(6) मान्यता हेंत आवेदन पन्र दिये जान्में की प्रक्रिया:-
(1)-निर्धारित प्रारूप पर आवेदन घत्र के साथ यंथा निर्दारित शुल्क (बैंक
 जिसे सम्ब्वि्यित ज़िला ऐेसिक शिका अंधिकारी द्वारा बेसिक. शिषात विभाग के संगत ल़खखांश़ीर्षक में र्राजंकोष में चालांन द्वारा जमा किया जायेगा)।

```
oons grey/:
```


## 5-

निर्दारित आवेदन एत्र का प्रारुप निंश्युल्क एकी अनिषार्य बाल शिक्षा का अधिकारा अधिनियम के अन्त्रत्रत राज्य संरकार द्वारा निर्गात की जाने वाली नियमावली के स्ताथ संल्यन प्रारूप (संलग़क-1) प्राप्त किया जा सकता है।
 आतवेंदन शुल्क रू० $2000 /$ त तथाः क्रमांक-3 पर अंकितःप्रस्तर की मान्यता के
 पदनाम से बैंक ड्राप्ट द्वारों जभा किया जायेगा, जो उनंके द्वारा संगत लेखाशीर्षक में जैंमा करफाराया जायेगा।
 हजार मात्र) की एनाएस०सी ज़िला़ बेंसिक शिंक्षा अधिकारी के पदनाम से प्लेंज्ड होंगी।
(3)- आवेदन पपन्रं पार्तों हो जाने के पश्चात जिला बेसिक शिद्बा अधिकांरी द्रारा उनकी जांच/निंरोषण की कार्यवाही की जायेगी तथा इस विषये से संबिधित विद्यालयों को भीं सूच्चित क्रिया जायेगा। निरीक्षंण हेज़ जो अधिकारी विद्यालय का निरीकीण करेने जायेंगा, वह यह सुनिश्चित करेगा कि निंरींक्षा के समेय याम प्रधानद/ पंचायत सदसं।/प्रतिनिधि उपस्थित हों; जिससे स्थानीय जननत कोे जानका़ी हो संके कि विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण वास्तठ में किया गया हहे। निर्रेषण के संयूय मान्यता की शतों में जो कमियॉ पांयी जायें. उन्हुं जिली़ बेतिक रिक्षा अधिकारी़ द्वारा 15 दिन के अन्द्र सम्बिन्दित पिद्यालयं प्रबंच्धतंत्र को लिखित रूम से सुचित किया जायेग। विद्यालय की आपलिया सूचित करने के दिनांक के 02 माह के भीतर
 समम्बिन्तित जिला बेंसिक शिषाध अधिकारी को उपलंब्य करानी होगी। जिला
 मान्येता समिति के :विधारांथ प्रस्तुतं करेगा।
(6) वित्तीय श शत्ते

मान्यंता की उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त एक मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय़. को. लिए निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन भी अनिवार्य होंगा।
(क) विद्यालय क़ संदान रू० $20,000 /$ - मूल्य की धनराशि का होगा। वह संदान सम्पल्ति अथना गुकद रूप में रंखी जा सकती हैं यथा :-
(1) न्कद़ धनराश़िं।
(2). सरकारी ज़मानूत।
(3). अंचल सम्पतिं।

## टिषणी:-

यदि संपान नकद धनराशिं क्षथवा सखकांरी ज़मानत के रूप में हो तो जिला बेसिक शिष्षा अधिकारी के फद्रनाम प्रतिभूंत होना चाहिए। अचल सम्पत्ति

```
\mathrm{ corn very}
```


## 6.

के विषय में प्रबंन्धक अथंवा अन्य किसी अधिकारी को जिसे संस्था की ओर सो सम्पत्ति के बेचने तथा तदर्थंविधि-पत्र (डींड) लिंखने का अधिकार हो, जिला बेसिक शिक्षा अधिंकारी को अनुबन्ध पत्र लिखना आवश्यक होगा कि उक्त सम्पत्ति सक्षम अंधिकारियों की लिखित आंज्ञा के बिना स्थानान्तंरित नहीं की ज़ायेग़ी अथवा किस्सीः भीं प्रकार प्रतिबन्धित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में एंक शापथपन्न भी निया जायेगाँ। अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन और उससे होने वाली आय का प्रमाण-पन्र किसी ऐसे राजस्वं अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए ः जो तहसीलदार से कम स्तर का न हो। नगरपालिकाओं के क्षेत्र में नगर निगम/नगंर पालिकां के एक्जीक्यूटिव आफिसर अथवा चंच नगर अधिकारी का प्रमाण-पत्र स्वीकार किया जायेगा।

संस्थान द्वारा रू० $5000 /$ - की धनरांशि का एक स्थाई कोष बनाय़ा ज़ायेगा और उसें जिला हेसिंक शिक्षा अधिकारी के पदनाम प्रतिभूत कर दिया जायेगा। राज्य अथंवां केन्द्रींय सरकारी बोर्ड़ अथवा फ़ौजी आर्ड़िनेन्स फैक्टरियों द्वारा संचालित किसी भी संस्था को संदान और स्थाई कोष की शर्तो की पूर्ति की आंवश्यक्तंता नहीं होगी, परन्तु ऐसीं किसी संस्था को संचालित करने के लिए "सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति का प्रस्ताव: तथा आवर्तक और अनावर्तक व्यय के लिए आवश्यक पाविंधान होना चाहिए।

## (7) मान्यता

आवश्यकता:- (1) विद्यालय को मान्यंता तभी प्रदान की जायेगी जव विद्यालेय के कैचमेंट एरिया में न्यूनतम छात्र संख्या उपलब्ध हो सके। न्यूनतम छांत्र संख्या निम्नवत् होना अपेक्षित है :-
(क) प्री-प्रांइमरीं तथा प्राइमरी
200 ( 07 कक्षायें)
150 ( 05 कक्षाये
275 ( 10 कक्षाये
225 ( 08 कक्षाये)
(ख) प्राइमरी
(ग) प्री-प्राइमरी; प्राइमरीः एवं जूनियर हाईस्कूल
225 ( 08 कक्षायो)
(घ) प्राइृमरी तथा जूनिय़ुर हाईस्कूल
प्रदेश के शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ें क्षेत्रों एवं ग्रामीण अंचलों में विद्यालयों की़ी न्यूनतम छात्र संख्या क्षेत्रीय परिस्थिंतियों को ध्यान में रखकए निश्चित की जायेंगी।

अंग्रेज़ी मांध्यम़ के विद्यालयों से यद आपेक्षित होगा कि एन०सी०ई०आर०टी०/एस०सी०ई0आंर०टी० द्वारा निर्धारित अथवा बेसिक शिक्षा परिषद :द्वारा अनुमोदित पाठ्यकम कों अनुसारं पठन-पाठने कराया जाय। मान्य पुस्तकों के अतिरिवत्तिंक़सी अन्य प्रकार की पुर्तक का पठन-त्वाठन नराया जाय़ और किसी विशेष प्रकाशन क़ी स्टेशनरी का क्रय किये जाने हेतु छानों पर दबाव न बनाया जाय ने ही अभ्यास पुस्तिकाओं पर विद्यालय का नाम मुद्रित कराकर क्रये्हेतु बाध्य किया जाय, अन्यथा ऐसे विद्यालयों की मान्यता प्रत्याहरित कर ली ज़ायेंगी।

00 Kं

## (क) भौतिंक संसाधन

(1) भवन
(क) विद्गालय़ सोसीइंटी का आवशश्यकतानुसार उपयुक्त नजज ग५न ड़ोने अभववा केंम से कम 10 वर्ष तक किराये/लीज पर भवन उपलब्ध होने पपर मान्यता के लिये विचार किया जा सकता है। किराये का भवन होने कीं स्थिति में किरायानामा पंजीकृत (रजि़स्टर्ड) होंना अनिवार्य है।
(ख) मान्यता के लिये प्राथमिक/जूनियर स्त़र के प्रत्येक कक्षातुभाग में प्रति छांत्र:09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए, परत्तु क्रका क्ष्क्ष का क्षेत्रफल 180 वर्ग फीट से कम नहीं होना चाहिए ः अर्थांत्रत्येक कक्षा कक्ष में कम से कम 20 बच्चों के वैठने की व्यवस्थां अनिवार्य रूप से होंनी घाहिए, जिससे बच्चें " कक्षा में चौफ़णिक गंतिविधियों सुुविधापूर्ण ढंग से संचालित कर सकेंा विध्धींलय में उतने ही. छात्र/. छात्रओं को प्रवेश दिया जाय. जिऩके बैढने की समुचित प्यवस्था उपलब्य हो। विद्यालय में पुस्तकोल़य़ः एवं बाचनालय भी होना च्चाहिए।
(ग) प्रघानाध्यापंक, कार्यालय तथा स्टाफ के लिये उलग-अलग कक्ष उपलब्ष होंना चाहिंड।
(घ) छात्र/छाऩाओं तथा. अध्यापक /अध्यापिकाओं के पृथक-पृथक मूंत्रालयं एवं शीचालय की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
(ङ) विद्यालयं 'में पीने क़े स्वच्छ (जीवाणु रहित) पानी की समुचित व्यंक्स्था होनी चाहिए।
(च) विद्यालय भुपन का वाहय रंा सफेद होना चाहिए और अधिकतम दों ववर्ष में विध्यालय भवने में रंग-रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूव से की ज़मयेगी।
(2) क्रीड़ा स्थल

खेलक़ूद के लिये यथा सभव विद्यालय परिसर में या विद्यालय परिसेर के संमीप क्रीड़ा क्षेत्र उपलब्य होना चाहिए जहॉ कबड्डी, बांलीवॉॉल, वैड़मिन्टन, बास्केट बॉल, खो-खो आदि जैसे खेलों हैत निर्धारित स्थान की व्यवस्था अन्निवांर्य रूप से होनी चाहिए, जिसका उंपयोंग विंद्यालय के छात्र/छान्रोड़। कर सकते हों।

## विशेष :-

 जहां स्थानांभावं हो कीड़ा स्थल की छूंट दी जा सुकती है। की की के अभाव में किसी विद्यालय:को भान्यंता से वंचित नहीं किया जा सकता है।
(3) साज-संज्जा एवं उपकरण

विद्याल़ंयां में छात्र $\%$ छत्राओं के नामांकन तथा आयु के अनुसार बैठनें के लिए उप्युक्त आक़ार कीं कुर्स़ी; स्टूल, बेंच, मेजें तथा अध्यापकों के लिए कुसी, गेज उपलब्ध होने चाहिए।
(a). पुस्तकालय

प्राथभिक विद्यालयों कक्षा-5 के लिए छात्रोपयोरी विभिन्न विषय की कक्षा-5ः तक की पुस्तकें तथा जूनियर स्तर के विद्यालयों में कक्षा-8 तक की पुस्तकें उपलब्य होनी चाहिएं। उक़त के अतिरिक्त सामान्य ज्ञान, शिक्षामद प्रस्तकें तथां पन्न-पत्रिकाओं की भी व्यवस्था की जा सकती है।
(5) विज्ञान सामग़ी

विद्यालय में पाठ्यक्कमानुसार आवश्यक विज्ञान स़ामग्री छपलब्ध होनी चांहिए।
(8) शिक्षण सामग़ी

ज्रभार्वी शिक्षण के लिए आवश्यकतनुसार शिक्षण सामग्री उपलव्ध होंने चाहिए।

## (9) मानव संसाघन

## स्टाए पेतनमान, सेवा शर्ते

(क) प्रो-प्राइमरी से कक्षा-8 तंक्र के शिंक्षणं के लिए उ०प० नि:शुल्क ओर उनिवार्य बांल श़िक्षा का अधिकार नियमावली-2011 की धारा-6 के प्रस्तर-15 गें प्रदत्त व्यवस्थांनुसार अर्हताधारी अध्यांपक/अध्यापिका उपलंब होता आवश्यक है $\dot{1}$ यहं भी़ ध्यान रखा जायेगा कि उच्च प्राथमिंक कंक्षाओं के लिए कम से कम प्रति कक्षा-कक्ष हेतु रिज्तान और गणिंत सामाजिंक अध्रययन भाषा से संबंधित शिक्षक उपलबब्ध हों. हसके अतिरिंक्त बालं शिक्षा, स्वास्थ्य्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं कार्यानुभव शिक्षंण हेतु भी एएक्येंएक शिद्यक उपलब्ध होना चाहिए।
(ख) विद्यालय में आवश्यकतानुसार लिपिक एक चतुर्थ क्षेणी कर्भचारी की नियुक्ति की जाती आवश्यक़ है। चौकीदार, आया एवं सफाई कर्मचांरी की उंशकालिक नियुक्ति मान्य की जा सकती है। शेष सभी शिक्षक, शिक्षणेत्तर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्णक्रालिक होना आ.दश्यक है।
(ग) विद्यालय के कर्मचारियों के लिये प्रबन्धाधिकरण द्वारा सेवानियमावली बनाकर प्रस्त्तुत की जायेगी, जिसमें नियुक्ति का प्रकार, परिवीक्षाकांल, स्थाईकरण तथा दर्ण्ड के सम्बत्ध. में संविधांन एवं विधि सम्मत प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेखः किया जाना आवश्यक है।
सेवा निय़मावली में अवकाश, पेंशन, ग्रेंच्युटी बीमा, पी०एफंय तथा अन्य कर्मचारी कल्याण़ंकारीं चौजेनाओं का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

प्रबन्धाधिकरण के सक्षम अधिक़ारी एवं विद्यालय के सभी भोणी के कर्मचारियों (म्रधुानाध्यांपक; अध्यापक, 'शिक्षणेत्तर कर्मचारी, चतुर्थ श्रेंणीं 00 m

7
कर्मचारी) के नध्यं विधिद्यान्ये सेवा अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगां और जो सम्बन्धित जिला ब़ेसिक ःशिंदा अंधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताप्करित कराना होगा और उसकी एंक प्रति ःसम्बन्धिधीत जिला बेसिंक शिक्षा अ़धिकारी कार्यालय में सुंरक्षित रखी जायेगी।

काल्क
गान्य़ता :प्राप्त विद्यालय द्वारा छांनों से शिक्षण शुल्क एवं मछंगाई शुल्क मिलांक़र उतनां मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो अध्यापको/कर्मचारी कल्याणकारी योजना कां अंशदान वहन करने के लिए पर्याप्त हो। इसके अरिरिक्तं शिक़षण शुल्क़ तुथा महंगाई शुल्कु से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के:पश्चातंश शुल्क आय क्र 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोंई वृद्धि तीन वर्ष तक़ः नहीं की ज़ायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेंगी वह 10 प्रतिश़त से अंधिक न्नहीं होगी। विद्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों में शुल्क लिया ज़ा सकता. है :-
1- शिक्षण शुल्क, 2- महंगाई शुल्क, 3- विक्यस शुल्क, 4- बिजली पानी आदि. 5 - पुस्तकांलंय एवं वाचनालय, 6 - विज्ञान शुल्क, 7- भव्य शुल्क, a- क्रीड़ा शुल्क Q परीक्षा/मूल्यांकन, 10 -विद्यालयय समारोइ/उत्सव, 11विशेष विषथों की शिक्षा- कम्प्यूटर / स्संगीत आदि।
जोट :-
1- पंजीकरणःशुल्क, भवन शुल्क तथा कैपीटेशन क़ें रूप में कोई फीस विद्यार्शियों से लेनां वर्जित होगा।
2- मान्यता ज्राप्त विद्यालय- 25 प्रतिशत अलाभित समूह के गरीब बच्चों को निंशुल्क शिक्षा ज्प्रंदान केरेंगे, परन्तु यह प्रतिबन्ध असहायता प्राप्त अल्ल़संख्यंक विद्यांलयों पर लागू:नी होगा।
3- विंद्यालय बच्यों कों निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियन की धारा-19 एवं अनुसूची में विंहित स्तर एवं मानकों को स्थापित रखेगा।
(10) शीक्षिक सात्र $2013-14$ की मान्यता प्रदान करने के संबंध रों समय सारिणी :-

बिद्यालय कों मान्येता प्रदान करने के लिए विद्यालय कके प्रबन्धक/सक्षम प्राधिकांशी द्वारा संलगनफप्रारूप-1 के अनुसार स्वघोषणा-सहआवेदन पत्र जो सम्बस्थित जनपद़ क़े जिंला बेसिक शिक्षा अधिकारी कें कार्य़ालयों में पूर्व से लम्बित है, उन आव़ेदन पंत्रों पर समयब़द्ध रूप से दिऩांक 30 जून. 2013 तक नवीन मान्युता विषयक शत्तों के आलोक में मान्यता के संबंध में मान्यता सभिति द्वारां निर्णय लिया ज़ायेंग़ा।
नौट:- ज़िन आवेदित विंद्यालयों द्वांरा उक्त निर्धारित गाइड लाइन्स का पालन नही किय़ा हो, उनके आवेदन पर आगामी शैक्षिक सत्रों को मान्यता हैंतु core orej

कमियों को पूरां कियें जाने के उपरान्त मान्यता समितिं द्वारा विचार किया जायेगा।

## 

 आवेदन करने और कीयता प्रदान करने के सम्बस्ध में समय सारिणी:-विद्याहय कों मान्यता प्रदान करने के लिए विद्यालय के प्रबन्धक / सक्षाम प्राधिकारीं द्वरा संलंग्न प्रारूप-1 के अनुसार स्वघोपणा-सहआवेदन पत्र सम्बत्रित जनपद के जििला बेसिक शिंष्षा अधिकारी के कार्यालय में निम्न समय सारिणी में इंगित अववष्बिं में प्राप्तं क़राया जायेग़ा तथा मान्यता सम्बध्धी आवेदन पन्र का निस्तारण समयं-सारिणी में इंगित तिथियों के अनुसाख किया जायेगा:-

|  | सम्बत्रित जिला बैस़िक शिक्षा अधिकांरी कार्यालय में आवेदन पत्र जरा करना। | $01 \text { जुलाई से } 31$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 2. | प्राप्त हए आवेदन पत्रों के बारे सर्व साधारंरण को जानकारी दिया जाना। | $\begin{aligned} & \text { सितम्बर प्रथम } \\ & \text { सपप्ताइ } \end{aligned}$ |
| 3. | आवेदन करंरने वांत विद्यालय का निरीपषषण | 15 सिलम्बर से 31 अक्टुबर |
| 4. | सम्बतन्धित लिला ब्रफ़्सिक शिष्षा अधिकारी द्वारा संस्था को कमी /शर्त परेरे करने हेत सरिंत किया ज़ाना। | $\begin{array}{ll} \begin{array}{ll} \text { नवम्बर } & \text { से } \\ \text { दिसम्बर } \end{array} \end{array}$ |
| 5. | आवेदन कत्ताओं के प्रत्यांक़दन स खीक कार करना। | जनवरी-फरव? |
| 6. | जिला बैसिक शिंद्षा अंधिकारी अथवाः उसके द्वारा अधिकृत शिष्षाधिकारी द्वारा विद्यालयय का स्थलींयः निरीक्षणोपरांन्त आवेदन पत्र की संस्बति पर पर मान्यता संमिति द्वारां: निर्णय लेना। | मार्च |
|  | जिला बेसिक श़िद्षा. अधिक़ोरी द्दारा मांच्यता आंदेश जारी करना। | 31 मई तक |
|  | नोट- मान्यदतां सभिंति की बैठके वर्ष में दो बार नवम्बर एवं मार्च जायेंगी। निंरिक्षण गें निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले नवम्बर माह में आंदत" वैठक में परीक्षेण़ोंरान्त्त निर्णय लेकरे मा मान्यता आदेश दिसमम्ब़रं में निर्गतं कियो जायेगा तथा निर्धारित मान को पूरा नहीं करंने वाले विद्यालयों को कीमियों को पूरा कराकर बैठक में परीश्षणोपरान्त्रि निर्णय लेकर 31 'मेई तक मान्यता आदेश शिक्षा अधिकारी द्वाऱा निर्गत: कियें जायेंगे। | आहूत की द्वलयों को ता समिति एवं शतो र्च में आहूत जला बेसिक |

## 

सैक्षिक संत्र्, 2014-15 से मान्यता हैतु: आवेदन की प्रकिया आन लाईन होगी, जिंसके सम्बन्ब के वेब साइट का पता तथा आवेनेन प्रकिया कें संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पृथ्थंक से निर्गत किये जायेंगे।
(13) विद्यालंय कीं मान्यता का प्रत्याहरण:-

ज़ंहां जिंला बेस़िंक शिराक्षा अधिकारी स्वयं या किसी व्यानके से प्राप्त प्रत्यांवेदन के आधार पर अभिलिखित कारणों से संतुष्ट़ं हैं कि मान्यता प्रदत्त़ core
mple

किसी विद्याल़्दा द्वारा मान्यता हेतु निर्षारित एक या एक से अधिक शत्तो का उल्लंघन किया गयरा हैं अथवा;अंनुसूंची में निर्धारित मानकों एवं स्तर को पूर्ण करने में चूक की गई है तों उसके द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की ज़ायेगी:-
(क)- विं़्यालंयं की मान्यता की जिंस शर्त का उल्लंघन किया गया है जसे 'स्पष्ट रूपं से ड़ंगित करते हुए विद्यालय को एक' गाह के अंज़र स्पष्टीकरण सम्बन्धी नोटिस निर्गत किया जायेगा।
(ख)- निर्धारित अवधिं में यदि विद्यालय. प्रबन्धतांत्र से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होंता है ऊथवा़ प्राप्त स्पष्टीकरण संतोष्पजनक नहीं होता है तोों 'सम्बन्धित जिला बेसिकं शिक्षा अधिकांरीं द्वारा आगारी 15 दिन की अवधि में एक त्रिस्तरीय सगिति, जिसमें श़सकीय प्रतितिधि़यों के साथं एक शिभाविद भी सम्मिलित होगाi, के द्वारा विंद्यालय का निरीक्षण कराया जायेगा। समिति विद्यालय की जाँच करं, विंद्यालयं कीं मान्यता जारी रखने यां समाप्त करने की संस्तुंति के साएँ अपपनी आ आख़्या निरीक्षण तिथि के एक माह (01) की अवंधि में सम्क़जित जिल़ा बेसिक शिष्बा अंधिकारी को प्रस्तुत कंरेगी। उपरोंक्तु समिति का गत़नं जिलाधिकांरी द्वारा किया ज़ांयेगां एवं जिलाधिकारी को संमिति एे सदस्यों को परिवर्तित करने का अधिंकारः होगा।
(ग) स्रामिति की आंख्या के आधार पर सम्बनित जिला देसिक शिक्षा अधिकांरी 15 दिन के अन्दर सम्बन्धितंत विद्यालय को पत्र भेजकर उंन्है अपना स्पष्टीकरण देने हेतु उ० दिन का अवसर देगा एवं प्राप्त स्पष्टीकरणं का परीक्षण करके उल़्यवा स्पष्टीकरण प्राप्त न होंने की स्थिति में अभिलेखों के आंधार पर सम्बस्घित जिला बेंसिक शिथां अंधिक़ारीः मान्यता प्रत्याहरण के संम्बन्ध में 45 दिन के अंदर मान्यता समिति का निर्णय प्राप्त कर लेंगें।
(घ) भान्यता, समिति के निंण्णय प्राद्ति: के 07 दिन के उंदर विधालय को प्रंदत्त मान्यंता रंद़दं करने का मुखरित आदेश (speaking order) ज़िलां बेस्सिक शिक्षां आधिकारी द्वारा निर्गत किया ज़ायेगा। मान्यता :रदद ह़ोने. का आदेश तत्काल अनुवर्ती शथिक संत्र से लाग होंगा तथा उक्त आदेश में ही उन पड़ोसी विद्यालयों कें न्ञाम भी इंगित किये जायेंगे जहॉ मान्यता प्रत्य्याह़रित विद्धालंयों के बच्चों को नामांकित कराया जायेगा। उ़्क्त आदेश को सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी को भी अवगता क़ाया. जायेग़ां तथां संर्व साध्धारण की जानकारी हेतु स्थानीय एवं रांड्रींय दैैनिक! समाचार पन्न में विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी तथा इसे वेबसाइट पर. भी प्रदर्शित किया जायेगा।

## :grey

$$
-12-
$$

(14) गुल आधिनियंस-2009 एवं अधिनियम-2012 की धारा-15(4) के छारा कियों।गये संशोध़न असहायता माप्त अल्पसंख्यक विधालयों पर लागू नहीं होंग।
(15) प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दुष्टिगत औंपबन्धिक मान्म्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस आवधि में. मान्यता की शत्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल ताथ्य : संज्ञानित नुंहीं होता है तो-तीन वर्प की अवधि पूरी होने पर यह भान लिया ज़ायेगां कि विद्यालय को स्थांयी मान्यता प्राप्ति हो गरी है। कृपया उक्त मानकों/शर्तो का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। संलग्नक-यथोक्त।

## संख्या एवं दिनांकं तदैव।



प्रंतिलिंपि नििं्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव़श्यक काई तही हेतु प्रेषिएः-

1. समस्त मण्डलायुक्तः उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अपर्टिसा निदेशक (बें), उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. सचिव, बेंसिक शिक्षा परिंषद, उत्तर प्रदेश, इलाहावांद।
5. समस्त मेण्डलीय सहायक शिशक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश।
6. समस्ता ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. शिक्षां विभांग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
8. गार्ड'फाईल। ooel-

आजां से,
(ममता भीवास्तव।)
संशुक्त सचिव।।

> 08 मई 2013
> $4(0$ र्य $-419 / 79-6-2013-18(20) / 91$

## परिशिष्ट

## प्रारूप-1

## विद्यालय को मान्यता प्रत्हनण करने के लिए स्व:घोषण-सह-आवेदन (नियम-15 का उपनियम (1) देखिए)

सेवा में,
जिला शिक्षा अधिकतरी;
(ज़िला औौर संघ राज्यदोक्र क्व जात)

सहोदय,

मैं एतद्द्वारा निःशुल्क अनिवार्य बालल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 वी अनुसूच्ची में विनिद्धिष्ट सन्नियोों जैए सालकों के अनुपांलन के संब़ंध में एक स्वओणो और $\qquad$ (िज्यालय का जाषv) को. $\qquad$



> EGG:

$$
\because \%_{i}
$$

$T: 3 i F_{i}$ :

7ano:




|  |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| $1 . \because$ |  | 04 T |
| 2 |  | 70 \% 6 |
| 3. |  | 0, |
| S | पुस्तंक़तय मे पुर्तों की सुदिधिं <br>  <br> - पंनियाप"लों |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  W隹家: | ; |







(G)






 (i)
E. $i^{-}$
anctarem
giter rimity
Bra;:

# की नी की कीजिएी 

（iv）



करंता 类 ：और

 $1 . \because \because 8$ 品
 ．

ic，
$\underset{\sim}{\text { and }} \rightarrow$








$\because$＂，• Mi min undi i




保化：－i
$\because 12 .$. ．




？175


फ़ीटा
，



楼事

ลत्रीख
Sremper




## 

आता
क्रितेनेर्दल⿰ से मे站？















An A5







（i） ：


（ii） $\therefore$ 本

